



कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व

तहसील - गोहद
जिला - भिण्ड, मध्यप्रदेश

(अनुसूचित जाति का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र)

प्रकरण क्रमांक 9282/बी - 121/जाति प्रमाण पत्र

दिनांक : 12/07/2017

प्रमाण पत्र क्रमांक : RS/420/0104/7647/2017 ✓

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार गोयल पुत्र श्री अहीराम गोयल (पिता) एवं श्रीमती रामवती देवी (माता) ग्राम सहरोली, तहसील गोहद, जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश) जाटव जाति के सदस्य हैं। उनकी जाति संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति की सूची में अनुक्रमांक 14 पर निम्नलिखित के तहत विनिर्दिष्ट की गई है:-

1. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976

श्री राजेश कुमार गोयल पुत्र श्री अहीराम गोयल सामान्यतः (Ordinarily) ग्राम सहरोली, तहसील गोहद, जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश) के निवासी हैं।

स्थान : गोहद

दिनांक : 12/07/2017

आधार नंबर : 330529454424

समय नं :



तहसील - गोहद

Ashish Vashishth

आशीष वशिष्ठ

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

1. प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रमाण पत्र म.प्र. शासन की Digitally Signed document repository www.mpedistrict.gov.in से डाउनलोड किया गया है। प्रमाण पत्र पर सक्षम अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।
2. यह प्रमाण पत्र, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत मान्य है।
3. प्रमाण पत्र का सत्यापन पंजीयन क्रं RS/420/0104/7647/2017 के द्वारा वेबसाइट <http://mpedistrict.gov.in> के माध्यम से किया जा सकता है।

कार्यालय पदाभिहित अधिकारी, लोक सेवा केंद्र में

टप्पा/तहसील गोहद जिला भिण्ड

RS/420/0110/4962/2018 /बी-121/2018 ✓

दिनांक 11/04/2018

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र



प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. राजेश कुमार गोयल पिता/पति अहिराम गोयल निवासी सेहरौली, Sahroli, Gohad, भिण्ड तहसील गोहद जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश) राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए प्रभावशील जाप दिनांक 20/12/2011 में निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक (ii) की पूर्ति करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

2. * प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक सी-3/17/1/3/2011 दिनांक 20/12/2011 के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी*/अवयस्क बच्चे* जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है -

(1) आवेदक की पत्नी का नाम सरतादेवी आयु 30 वर्ष है।

(2) आवेदक के अवयस्क पुत्र/पुत्री एवं आयु

क्रमांक	अवयस्क पुत्र/पुत्री	आयु (वर्ष)
1	रितेश कुमार	14
2	संगम गोयल	10

टीप :- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिए जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जाँच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र के आधार पर जारी)



R P Sharma
प्राधिकृत अधिकारी

* लागू होने पर काट दें।

H. Sharma